प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः—

**निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः**— द्वितीय वृत्त, मेरठ परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः—18.12.2014

| क्रमांक | आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 | शिकायत का विषय | यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि | निस्तारण हेतु दिया गया समय—(तत्काल/7 दिन/15 दिन) | कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति | टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री डी0पी0 सिंह, पता—डी—44, शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0—9412782622 | विवादित प्रकरण व्यवसायिक छत संख्या बी योजना संख्या—3 ए—ब्लाक शास्त्रीनगर मेरठ के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ के पत्रांक 1191 दिनांक 09.2.15 द्वारा सूचित किया गया है कि परिषद नियमानुसार आवंटी से सशर्त धनराशि जमा कराने का प्राविधान नहीं है। यदि भविष्य में परिषद द्वारा ''एक मुश्त समाधान योजना'' लागू होती है तो उक्त योजना में ही दण्ड ब्याज में परिषद नियमानुसार छूट आवंटी को प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की छूट अथवा सशर्त धनराशि जमा कराने का प्राविधान नहीं है।<br>अतः परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। | निस्तारित |
| 2 | श्री उमेश गुप्ता, पता—142/5 फूलबाग कालोनी मेरठ, मो0 नं0—9410683540 | फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या—एल—1555/ 1 में लिये गये शपथ पत्र के आधार पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | सम्पत्ति कार्यालय मेरठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है। | |
| 3 | श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 | ग्राम सरायकाजी में स्थित खसरा | | 15 | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—8, | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्री जय प्रकाश, पता– सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0–7500139348 | संख्या–148 के सम्बन्ध में। | | दिन | मेरठ के पत्रांक 05/ जी–19/ 01 दिनांक 01.01.2015 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, तदानुसार पत्र निस्तारित किया जाता है। | |
| 4 | डा0 नरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पता– डी–15 विवेक विहार शाहदरा दिल्ली, मो0 नं0–8527170422 | वसुन्धरा योजना में समाविष्ट अर्जन मुक्त भूमि का कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | परिषद दिवस दिनांक 21.1.16 में सप्तम वृत्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार<br>अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–01, गाज़ियाबाद ने आवेदक के पत्र दिनांक 19.3.15 के सन्दर्भ में अपने पत्रांक 1505/ दिनांक 19.10. 15 द्वारा अवगत कराया है कि वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के अर्जन मुक्त भूमि के समायोजन सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु खण्ड के पत्रांक 382/पी0डी0/ 06 दिनांक 24.3.15 द्वारा प्रकरण उप–आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। | प्रकरण का निस्तारण भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा कराया जाना है। |
| 5 | श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री हरस्वरूप लाल, पता– 705/2 मंगल पाण्डे नगर मेरठ, मो0 नं0–9897564038 | मंगल पाण्डे नगर योजना संख्या–1 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–346/1/3 से 346/7/3 तक के विकास कार्य एवं विवाद के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6 के पत्रांक 47/ एम–13/02 दिनांक 14.01.2015 द्वारा आवेदक को सूचित किया गयसा है कि "मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर द्वितीय अपील संख्या–946/2010 मंगलपाण्डे नगर योजना सं0–1 के खसरा सं0–5751 की खेवट सं0–1 व 15 की भूमि से सम्बन्धित है न कि परिषद की विधिवत कब्जा प्राप्त खेवट सं0–445 की भूमि से सम्बन्धित। खेवट सं0–445 की भूमि को खेवट सं0–1 व 15 की भूमि बताते हुए वाद दायर किया गया है। परिषद द्वारा जो | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उपरोक्त भू0सं0–346 / 1 / 3 से 346 / 7 / 3 आवंटित किये गये हैं वह खेवट सं0–445 की विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर निर्मित है। आपको उपरोक्त भूखण्डों का आवंटन वर्ष–2008 में किया गया है,ि जिसका भौतिक कब्जा भी आपके द्वारा वर्ष–2008–09 में विधिवत रूप से प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त क्षेत्र में विकास कार्य परिषद द्वारा कराते हुए योजना की समस्त सेवायें दिनांक 12.12.2001 को नगर निगम को हस्तगत की गयी हैं।<br>द्वितीय अपील सं0–946 / 2010 परिषद बनाम सिराजुद्दीन आदि माह 8 / 2010 में मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी है। वह खेवट सं0–1 व 15 की भूमि से सम्बन्धित है जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित हैं।'' | |
| 6 | श्री हाजी अब्बास पुत्र श्री हाजी दीन मौहम्मद उर्फ दीनू, पता–14, कैला गाजियाबाद, मो0 नं0–9958545513 | आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित ग्राम कैला की छः प्रतिशत विकसित भूमि में मृत्यु उपरान्त वारिसों के नामांतरण के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | परिषद दिवस दिनांक 21.1.16 में सप्तम वृत्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसारः–<br>अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–16, गाज़ियाबाद ने अपने पत्रांक 2899 / एम–18 / 23 दिनांक 18.11.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही उप–आवास आयुक्त (स0प्र0) गाज़ियाबाद द्वारा की जायेगी। | |
| 7 | श्री मनोहर लाल, पता–ए–21 स्टाफ क्वाटर शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0–8795811090 | शास्त्रीनगर योजना संख्या–3 मेरठ स्थित स्टाफ भवन संख्या–ए–27 को निजि तौर पर आवंटित किये जाने के उपरान्त जल मूल्य एवं हाउस टैक्स की एन0ओ0सी0 निर्गत करने के | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, मेरठ के पत्रांक 1137 / जी–15 / 117 दिनांक 01.9.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि उक्त स्टाफ भवन आपको दिनांक 15.01. | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सम्बन्ध में। | | | 1999 को आवंटित किया गया था तथा तद्दिनांक सं वर्तमान तक उक्त भवन में आप निवास कर रहे हैं। वर्ष–2013 में उक्त स्टाफ भवन आपको निजी रूप से आवंटित हो चुका है। अवगत कराना है कि स्टाफ भवनों में पानी/ बिजली के बिलों का भुगतान करने का दायित्व स्वयं कार्मिक का है। इसमें बिजली/ पानी के बिलों का भुगतान स्वयं आपके द्वारा किया जाना है। अतः आपका प्रकरण निस्तारित किया जाता है। | |
| 8 | श्री देवराज सिंह एवं श्री सौराज सिंह, पता–सी–98/9, शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0–7037120311 | अर्जित भूमि के अवशेष मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 2510/जी–19/ 61 दिनांक 18.12.14 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि आपका प्रकरण भू–अध्यापप्ति अधिनियम की धारा–28(ए) से आच्छादित है, चूंकि आपके प्रकरण में परिषद मुख्यालय सके निर्देशान्तर्गत अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में परिषद द्वारा योजित है, जो अभी विचाराधीन है।<br>अतः धारा–28(ए) के प्राविधान परिषद पर लागू न होने एवं प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन होने के कारण आपके उक्त पत्र के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।<br>आपके द्वारा दिया गया उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है। | निस्तारित |
| 9 | श्री एन0एस0 रावत, श्री बिमला जुगरान, श्री रामलाल एवं श्री नीलम नेगी, पता–डी–71/1 नेहरू कालोनी धरमपुर देहरादून उत्तराखण्ड, मो0 | नेहरू नगर कालोनी डी ब्लाक स्थित मानव भारती के निकट विकास शुल्क से अर्जन मुक्त भूमि के संशोधित मानचित्र के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | वृत्त कार्यालय के पत्रांक 2224/ जी–75/ 141 दिनांक 16.9.2015 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि नियोजन की दृष्टि से ले–आउट में अपेक्षित परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है, कृपया तदानुसार | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नं0–9412437152 | | | | विदित होने का कष्ट करें। अतः परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन का निस्तारण किया जाता है। | |
| 10 | श्रीमती नीलम नेगी, पत्नी श्री डी0पी0एस0 नेगी, पता–डी–71/4 नेहरू नगर कालोनी, मो0नं0–9411723125 | नेहरू नगर कालोनी में खसरा संख्या–48/1237 के विरूद्ध देय आसुधार शुल्क एवं विकास शुल्क की गणना के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | सम्पत्ति कार्यालय देहरादून द्वारा कार्यवाही की जा रही है। | |
| 11 | श्रीमती नीलम नेगी, पता–डी–71/4 नेहरू कालोनी देहरादून, मो0नं0–9411723125 | भूखण्ड संख्या–48/1237 के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | | 07 दिन | विशेष कार्याधिकारी, द्वितीय वृत्त, मेरठ के पत्रांक 67/ जी–69/ 09 दिनांक 09.1.2015 के द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया है कि परिषद की नेहरू नगर योजना देहरादून के ले–आउट प्लान में 48/1237 नम्बर का भवन/ भूखण्ड का अंकन नहीं है। अतः मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही इस कार्यालय से अपेक्षित एवं लम्बित नहीं है। कृपया अवगत हों कि परिषद की सभी योजनाओं में भवन/ भूखण्डों में निर्माण योजना की स्वीकृति का प्रभार समाप्त हो चुका है। | निस्तारित |